रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270226
CG-DL-E-18022026-270226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 785] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947
No. 785] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 823(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **4391(E) तारीख 26/09/2025**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा **आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीतारामा राजू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516E के (राजमहेंद्रवरम - विजयनगरम रोड)पर स्थित सीतापल्ली मोड़ (किमी 40.600) पर (ब्लैक स्पॉट) की मरम्मत, प्रबंधन और संचालन हेतु (ब्लैक स्पॉट आईडी संख्या AP-(04)-034)** निर्माण (चौड़ीकरण/दो लेन पेव्ड शोल्डर के साथ/चार लेन आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन का कार्य, आइटम रेट मोड पर किया जाना प्रस्तावित है (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख ``**05.10.2025**`` को "``**द टाइम ऑफ इंडिया**`` और ``**आंध्र प्रभा**``" में प्रकाशित किया गया था

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीतारामा राजू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 516E के कि.मी. 40.4 से कि.मी.40.8 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: अल्लुरी सीतारामा राजू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रामपचोदवरम					
गांव का नाम: सीतापल्ले					
1	66	सरकारी	डी-पट्टा	0.185	बंदम राजामणि डबल्यू/ओ लक्ष्मीपाठी 66/1C
2	66	सरकारी	डी-पट्टा	0.19	तेल्लम लक्ष्मी डबल्यू/ओ नारायणमूर्ति 66/2A1
3	66	सरकारी	डी-पट्टा	0.025	तेल्लम लक्ष्मी डबल्यू/ओ नारायणमूर्ति 66/2B1
4	77	निजी	ड्राय	0.14	कुंजम लक्ष्मी, डबल्यू/ओ चिन्नालू डोरा 77/1A
			Total	0.54	

[फा. सं. REV02-LMT0ALNT/43/2025-LMS-CCLA/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

S.O. 823(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4391(E) Dated:26/09/2025** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building **(widening to 2 laning with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of Rectification of Black spot (ID No.AP-(04)-034) at Seetapalli turning on NH 516E at km 40.600 of Rajamahendravaram - Vizianagaram road in the state of Andhra Pradesh on item rate mode"**, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas the substance of the said notification has been published in ``**The time of India**`` and ``**Andhraprabha**`` both Dated **05.10.2025** ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH516E in the stretch of land from Km. 40.4 to Km. 40.8 in the district of Alluri Sitharama Raju in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			**District: Alluri Sitharama Raju**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Rampachodavaram					
Village: Seethapalle					
1	66	Government	D-PATTA	0.185	Bandam Rajamani W/o Lakshmipathi 66/1C
2	66	Government	D-PATTA	0.19	Tellam lakshmi w/o Narayanamurthy 66/2A1
3	66	Government	D-PATTA	0.025	Tellam lakshmi w/o Narayanamurthy 66/2B1
4	77	Private	Dry	0.14	Kunjam Lakshmi, W/o Chinnalu Dora 77/1A
			Total	**0.54**	

[F. No. REV02-LMT0ALNT/43/2025-LMS-CCLA/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.18 09:26:59 +05'30'